



मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-800014

648

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष-0612-2215035

संचिका सं०:-ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)- 23 / 2021

/पटना, दिनांक:-

कार्यालय आदेश (07)

विभागीय पत्रांक-सं0सं0/नि0प्र0/आरोप-27/2022, पत्रांक-21 दिनांक-02.01.2023 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम-खुदौरी, पो0+थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद निबंधन सं0-ल0ज0सं0वि0-01 /2019, श्रेणी प्रथम अवधि दिनांक-18.02.2019 से 17.02.2024 तक के विरुद्ध श्री अमरेन्द्र कुमार, राम कृष्ण नगर, पो0-न्यू जगनपुरा, जिला-पटना द्वारा दायर परिवार में वर्णित तथ्यों की जाँच अधीक्षण अभियंता (मु0)उड़नदस्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा किए जाने के पश्चात अपने पत्रांक-412 दिनांक-28.10.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

सम्प्रति विभागीय स्तर से उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में निम्नांकित तथ्य पाये गये:-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार, संवेदक द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-09/2021-22 के ग्रुप सं0-09 बुधवारा आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य हेतु निविदा डाली गई।
इस कार्य की निविदा में उनके द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद के पत्रांक-958 दिनांक-08.08.2021 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया जो चापूक गांव में चेक डैम का निर्माण कार्य से संबंधित था।
वस्तुतः उक्त वर्णित कार्य मध्य बिहार टेक्नोलोजी प्रा0 लि0 द्वारा कराया गया है। जिसका एकरारनामा-07F2/2021-22 है।
2. विष्णु विहार इंजीटेक एण्ड सर्विसेज प्रा0 लि0, फ्लैट न0-103, विद्याकुंज अपार्टमेन्ट आनंदपुरी/एस0के0 पुरी पटना-800013 द्वारा लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर, मोहनियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-01/2022-23 के ग्रुप सं0-01, 14 अदद नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए निविदा डाली गई।
3. इस कार्य की निविदा में **BID Capacity** को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके द्वारा **Exsiting commitment on going work** को छुपाया गया जबकि लघु सिंचाई प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत 07 अदद नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य को पुरा नहीं किया गया है।
उक्त से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा अभिलेखों से छेड़-छाड़ कर एवं तथ्या को छुपाकर गलत तरीके से निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

अतः वर्णित परिस्थिति एवं संलग्न जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा अभिलेखों से छेड़-छाड़ कर तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से निविदा प्राप्त किया गया है। जो बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत दंडनीय है।

अतएव अधीक्षण अभियंता (मु0)उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता (मु0) अनुश्रवण के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा/परामर्श एवं मंतव्य के आलोक में संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम-खुदौरी, पो0+थाना-हुलासगंज, जिला-जहानाबाद, निबंधन सं0-ल0ज0सं0वि0-01 /2019 प्रथम श्रेणी (अवधि दिनांक-18.02.2019 से 17.02.2024 तक) को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-(क) की उप कंडिका-VII में प्रावधानित नियमों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

1647

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि-श्री धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम-खुदौरी, पो0+थाना-हुलासगंज, जिला-जहनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक-

/पटना दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी कार्य विभाग, बिहार, पटना के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार पुल निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक-

186

/पटना दिनांक- 14/03/2023

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियंता (मु0) अनुश्रवण/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

13/03/2023